न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्या सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 62/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

रामेश्वर पिता रूपा माली निवासी आंटोली तह0 शाहपुरा – प्रार्थी

बनाम

1– रामकिशन पिता देबी गुर्जर निवासी आंटोली
2– सोकरण पिता बालू मीणा निवासी आंटोली
3– सवाईराम पिता राजू गुर्जर निवासी आंटोली
4– राधाकिशन पिता हजारी गुर्जर निवासी आंटोली
5– सोजी पिता किसन गुर्जर निवासी आंटोली

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री कन्हैयालाल धाकड़**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21/10/2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम आंटोली** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 211 रकबा 0.09 है0, 212 रकबा 0.07 है0, 213 रकबा 0.07 है0, 214 रकबा 0.19 है0, 215/757 रकबा 0.05 है0, 195 रकबा 0.11 है0, 198 रकबा 0.10 है0, 219 रकबा 0.14 है0, 220 रकबा 0.46 है0, 5 रकबा 0.94 है0, 66 रकबा 1.21 है0, 72 रकबा 0.62 है0, 74 रकबा 0.94 है0** कुल किता 13 रकबा **5.01 है0** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम आंटोली संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **आंटोली** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 13 रकबा 5.01 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **1000/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21/10/2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्या सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा